



क्रमांक 12071/लो.से.प्र./2017
प्रति,

होशंगाबाद, दिनांक -18 /09/2017

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010
अत्यावश्यक

1. पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद,
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल अधिकारी होशंगाबाद,
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद,
5. सहायक श्रम आयुक्त, होशंगाबाद,
6. अधीक्षण यंत्री, म०प्र० विद्युत मंडल, होशंगाबाद,
7. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, होशंगाबाद,
8. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अधिकरण, होशंगाबाद,
9. उपसंचालक, सामाजिक न्याय विभाग, होशंगाबाद,
10. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, होशंगाबाद,
11. जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, होशंगाबाद,
12. उपसंचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, होशंगाबाद,
13. क्षेत्रीय संचालक, सतपुडा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद,
14. जिला कार्यालय अधिकारी, महिला बाल विकास, होशंगाबाद,
15. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, होशंगाबाद,
16. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, होशंगाबाद,
17. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विभाग होशंगाबाद,
18. सिविल सर्जन, होशंगाबाद,
19. अधीक्षक, धू- अभिलेख राजस्व, होशंगाबाद,
20. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल, होशंगाबाद,
21. जिला कार्यालय प्रमुख नगर तथा ग्राम निवेश, होशंगाबाद,
22. संयुक्त संचालक योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग, होशंगाबाद,
23. जिला कोषालय /पेंशन अधिकारी, होशंगाबाद,
24. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र होशंगाबाद,
25. जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय, होशंगाबाद,
26. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सर्व जिला होशंगाबाद,
27. तहसीलदार राजस्व सर्व जिला होशंगाबाद।
28. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सर्व जिला होशंगाबाद,
29. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/परिषद, सर्व जिला होशंगाबाद।
30. _____ जिला होशंगाबाद।

विषय:- लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 का प्रभावी क्रियावयन के संबंध में।

संदर्भ:- लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. एफ 4-7/2017/लोसेप्र/61 भोपाल, दिनांक 08/09/2017

****00****

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय न करने पर माननीय सांसद/विधायकगण द्वारा ऐसे प्रकरणों की ओर पत्र द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर संबंधित प्रकरणों पर

निरंतर ...



तत्काल संज्ञान लिया जाये एवं आवश्यकता होने पर ऐसे प्रकरणों को स्व-प्रेरणा में अपीलीय अधिकारी द्वारा लिया जाकर त्वरित निराकरण किया जाये तथा की गई कार्यवाही से मान० सांसदगण/विधायकगण को अवगत भी कराया जाये।

अतः प्राप्त निर्देशानुसार आप सभी विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है की लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में आपके विभाग की अधिसूचित सेवाओं के पदाभिहित अधिकारी से संबंधित समय सीमा बाह्य आवेदनों का निराकरण करवाते हुये संबंधित पदाभिहित के विरुद्ध प्रथम अपील दायर करना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का परिपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

12072
पृ०क्रमांक - /लो.से.प्र./2017
प्रतिलिपि:-

कलेक्टर
जिला-होशंगाबाद
होशंगाबाद, दिनांक-18/09/2017

1. सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, म०प्र०शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

कलेक्टर
जिला-होशंगाबाद

सुशासन

मध्य प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

84

क्र. एफ 4-7/2017/लोसेप्र/61
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2017

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 का प्रभावी क्रियान्वयन ।

लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदाय न करने की ओर मान0 सांसदगण एवं मान0 विधायकगण द्वारा समय समय पर पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि माननीय सांसद/विधायकगण द्वारा ऐसे प्रकरणों की ओर पत्र द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर संबंधित प्रकरणों पर तत्काल संज्ञान लिया जाए एवं आवश्यकता होने पर ऐसे प्रकरणों को स्व-प्रेरणा में अपीलीय अधिकारी द्वारा लिया जाकर त्वरित निराकरण किया जाये तथा की गई से मान0 सांसदगण/विधायकगण को अवगत भी कराया जाये।



(हरि रंजन राव)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2017

पृ0क्र0 एफ 4-7/2017/लोसेप्र/61

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल,
- 2- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल,
- 3- अध्यक्ष लोक लेखा समिति, म0प्र0 विधानसभा भोपाल,
- 4- विशेष सहायक/निज सहायक, मान0 मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री म0प्र0 शासन,
- 5- मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय भोपाल,
- 6- वेबसाइट प्रभारी, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

लोक सेवा प्रबंधन विभाग




सचिव
हेतु कलेक्टर होशंगाबाद